संख्या-63/2021/2189/58-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 7 दिसम्बरर 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्त1र्गत लेखाशीर्षक 2401-108-03- प्रदेश में गुणवत्ता्युक्ता पान उत्पाखदन को प्रोत्सा-हन की योजना के अन्त र्गत मानक मद 27-सब्सिडी में अवशेष धनराशि रू0-56.76 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-28.38 लाख की वित्तीणय स्वीमकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-90/बजट/2021-22, दिनांक 26-10-2021 की ओर आपका ध्या न आकृष्टय करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीटय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-108-03- प्रदेश में गुणवत्ताषयुक्तग पान उत्पानदन को प्रोत्सा1हन की योजना के अन्त्र्गत मानक मद 27-सब्सिडी में अवशेष धनराशि रू0-56.76 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-28.38 लाख की वित्ती7य स्वीअकृति श्री राज्यापाल महोदय निम्नन शर्तों/प्रतिबन्धोंम के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तासवित धनराशि के सापेक्ष जो भी काय्र कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगें तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।
2. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्येय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पयन्ननज प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यगक एवं अपरिहार्य है।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. चयनित लाभार्थियें की सची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
5. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यजक्ष का होगा।
6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी।
7. यह भी स्पतष्ट् किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्य क्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यटय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
9. सम्भा वित व्यीय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भ व हो, व्यकय की फेजिंग वित्तीपय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्ययय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-108-03- प्रदेश में गुणवत्ताइयुक्तन पान उत्पा1दन को प्रोत्सा-हन की योजना के अन्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त् विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-2430-दस-2021-2022, दिनांक-3 दिसम्बार, 2021 में प्राप्त् उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव

संख्या:-63/2021/2189(1)/58-2021 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य2क कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कररण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) वित्तक नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कदरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्यक कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीरय सांख्यिकी निदेशालय , जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्तक (आय-व्यखय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्तक (व्यकय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in